न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 37/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/155

अपीलाण्ट्स :—
1. धनी बेवा स्वर्गीय श्री मोहनलाल जाति घांची निवासी ग्राम खैरवा तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. मदनलाल पुत्र स्वर्गीय श्री मोहनलाल जाति घांची निवासी ग्राम खैरवा तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. मांगीलाल पुत्र सांवलराम जाति घांची निवासी ग्राम खैरवा तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :—
1. नायब तहसीलदार पाली जिला पाली
2. तहसीलदार पाली जिला पाली (राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव
सरकारी पैरोकार उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— **23.12.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली के पत्रावली संख्या 12/2024 में पारित आदेश दिनांक 22.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का खैरवा तहसील पाली ने अपीलाण्ट्स को खसरा संख्या 1058 तथा खसरा संख्या 1060 रकबा 0.1780 व 0.0647 किस्म गैर मुमकिन रास्ता एवं गैर मुमकिन बावड़ी में अतिक्रमी मानकर धारा 91 का नोटिस दिया जिसका जवाब अपीलाण्ट ने पेश किया तथा पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। अपीलाण्ट के जवाब पर बिना कोई गौर किये अपीलाण्ट को धारा 91 एल आर एक्ट में दोषी मानते हुए बेदखली का आदेश दिनांक 22.08.2024 पारित किया जो अविधिक होने से काबिले खारिज है। अपीलार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1057 रकबा 3.8040 हैक्टेयर भूमि का देखकर उत्तर दिशा में 1058 गैर मुमकिन रास्ता बताया गया तथा खसरा संख्या 2772 तथा खसरा संख्या 1060 का खसरा इंगित करते हुए उसके बाद में खैरवा से मारवाड़ जक्शन डामर रोड जो वर्तमान में चल रही है का इन्द्राज किया जबकि खसरा संख्या का कतई सीमाज्ञान नहीं किया गया। जो खसरा संख्या 1058 का खसरा संख्या का सीमाज्ञान नहीं किया गया है वह मात्र 500 फीट का सीमाज्ञान किया गया है। उक्त गैर

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

मुमकिन रास्ता करीबन ग्राम खैरवा के चौराहे 1061/1 से शुरू होकर अंतिम खसरा संख्या 1053/3 रामपुरा की सरहद तक जाता है जो करीबन 5000 फीट से अधिक लम्बा है तथा उक्त गैर मुमकिन रास्ता सदियों से उपयोग उपभोग में नहीं आ रहा है तथा गांव के अन्य लोगों का बाड़े तथा प्याउ बनी हुई है तथा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चल रहा है। जैर अपीलाधीन आदेश जानबूझकर अपीलाण्ट को तंग करने की नियति से जारी किया गया है जो काबिले खारिज है।

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपील आदेश नियमानुसार व आदेशों को मध्यनजर रखते हुए जारी किया गया है। अगर रास्ते की भूमि में उनका अतिक्रमण है ही नहीं व जो जैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने बाबत् किया है व अपीलाण्ट ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि जैर अपीलाधीन आदेश रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए किया गया है तो अपीलाण्ट को उक्त संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः अपील–अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स को खंसरा संख्या 1058 तथा खसरा संख्या 1060 रकबा क्रमशः 0.1780 व 0.0647 किस्म गैर मुमकिन रास्ता एवं गैर मुमकिन बावड़ी में उसको अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित किया गया है उससे रूष्ट होकर यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय जैर खसरान का सम्पूर्ण सीमाज्ञान न किया जाकर उक्त खसरान् को रास्ते की भूमि ही माना है। अपूर्ण सीमाज्ञान के आधार पर वह स्वयं को रास्ते की भूमि का अतिक्रमी नहीं होना बताते है। इस हेतु उसके द्वारा कोई सीमा जानकारी करवाई गई हो अर्थात् ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि खसरा संख्या 1058 व खसरा संख्या 1060 की भूमि पर पर अपीलाण्ट्स का अतिक्रमण नहीं हो।

पटवारी द्वारा बनाये गये पर्चा मौके एवं रेकर्ड से यह प्रमाणित होता है कि अपीलाण्ट ने 1058 तथा खसरा संख्या 1060 की आराजी में अतिक्रमण किया हुआ है साथ ही अपीलाण्ट ने भी जैर आराजी की किस्म रास्ता होने की सहमति अधीनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा में भी जाहिर की है व अगर जैर आराजी की किस्म रास्ता है तो उस से अतिक्रमण हटाने के तहसीलदार के आदेश में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतएव अपील अपील–अपीलाण्ट सारहीनं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक **23.12.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner